न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीणा, RAS

अपील संख्या 35/2021

1 मनसुख पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी मझाउ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र गीदाराम।
2 शीशराम पुत्र गीदाराम।
3 सीताराम पुत्र रामेश्वर।
4 हरलाल पुत्र रामेश्वर।
5 जगमाल पुत्र रामेश्वर।
6 हरिराम पुत्र रामेश्वर।
7 बजरंगलाल पुत्र रामेश्वर।
8 पप्पु उर्फ रघुवीर पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण मझाऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
9/1 सुमन पुत्री रामेश्वर पत्नी मुकेश।
9/2 छोटी पुत्री रामेश्वर पत्नी रामप्रताप समस्त जाति जाट निवासीगण खेदड़ो की ढ़ाणी तन जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10 सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड गुढ़ा गौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
11 अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड हाथी भाटा अजमेर जरिये अध्यक्ष।
12 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू दावा उनवानी
मनसुख बनाम बनवारी वगैरह दावा बाबत घोषणा, विभाजन
व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 85/2008 निर्णय व अन्तिम
डिक्री दिनांक 29.10.2020।

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री धीरज कुमार बॉयल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.8.22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 85/2008 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे वादी अपीलांट द्वारा ग्राम मझाऊ तहसील उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 31,32,33,297,307,427,428,431,10,34,38/1,443/34 बाबत घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। दौराने सुनवाई उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामें के आधार पर दिनांक 19.06. 2018 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

होने पर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की गई है। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 29.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.10.2020 में स्पष्ट अंकित है कि अपीलांट के वकील ने हिदायत पैरवी नही होना कथित किया है। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार विचारण न्यायालय को अपीलांट को नोटिस जारी करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना, अपीलांट को आपत्ति/सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया की पालना कर पुन निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. राजस्थान 1998 पेज 335,आर.बी.जे. 2017 पेज 299,आर.बी.जे. (5) 1998 पेज 668 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.01.2017 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक राजीनामा ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। राजीनामे के अनुसार ही अंतिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पक्षकारों ने राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में वादी अपीलांट को पुन नोटिस दिया जाना आवश्यक नही था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन डिक्री की पालना हो चुकी है। अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर बैंक ऋण भी प्राप्त कर लिया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2020 पेज 187,आर.आर.डी. 2018 पेज 769, डी.एन.जे. 2022 (1) पेज 613, आर.एल.डब्ल्यू 2012(3) (एस.सी.) पेज 2168, आर.एल. डल्ब्यू 2015 (1) आर.जे. पेज 467,आर.आर.डी. 2009 पेज 472 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 29. 10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.10.2020 में स्पष्ट अंकित है कि अपीलांट के वकील ने हिदायत पैरवी नही होना कथित किया है। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार विचारण न्यायालय को अपीलांट को नोटिस जारी करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना, अपीलांट को आपत्ति/सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार एवं उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उभयपक्ष को आपत्ति/सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.09.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.8.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर